(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 16/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 18.03.2024
निर्णय दिनांक : 06.08.2024

1. रामनिवास पुत्र नन्दराम
2. रोहताश पुत्र नन्दराम
3. लालवीर पुत्र नन्दराम
4. विक्रम पुत्र नन्दराम
5. दिनेश पुत्र नन्दराम
6. योगेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासीयान ग्राम अडींद तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।
7. संतोष पुत्री नन्दराम स्त्री राजपाल जाति जाट निवासी साजरपुर तहसील बावल जिला रेवाड़ी
8. उगलेश पुत्री नन्दराम स्त्री सुन्दरसिंह जाति जाट निवासी झाबुआ तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सरती पुत्री हरफूल उर्फ फूलिया जाति जाट निवासी ग्राम अडींद हाल पत्नी रघुवीर जाति जाट निवासी बोहका तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।
2. उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. कमला पुत्र हरफूल उर्फ फूलिया जाति जाट स्त्री बहादुर सिंह निवासी बोहका तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।
4. किशोरी लाल पुत्र धर्मा पुत्री हरफूल उर्फ फूलिया निवासी खरमपुर तहसील बावल जिला रेवाडी।
5. रामरति पुत्री धर्मा पुत्री हरफूल उर्फ फूलिया जाति जाट।
6. संतोष पुत्री धर्मा पुत्री हरफूल उर्फ फूलिया निवासी खरमपुर तहसील बावल जिला रेवाडी।

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवानी सरती बनाम रामनिवास को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित।
2. श्री अनुप शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी नम्बर 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–06.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष प्रकरण उनवानी सरती बनाम रामनिवास विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुप शर्मा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस करना जाहिर किया।
3. वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। बहस अप्रार्थी संख्या 01 सुनी गई।
4. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है कि ग्राम पंचायत नानगवास के आदेश दिनांक 13.06.1976 बाबत इन्तकाल संख्या 46 वाकै ग्राम अडींद के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अपील बउनवानी सरती बनाम रामनिवास विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की हुई है। जिसमें पीठासीन अधिकारी बिना बहस सुने अपील मंजूर करना चाहते है। रेस्पोडेन्ट के पुत्र सरेआम कहते है कि अपील का पक्ष हमारे पक्ष में होगा तथा इस जमीन को बेचने हेतु ग्राहक लगा रखे है। यदि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील में अपीलान्ट/अप्रार्थीगण

जिला कलेक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अपने इस गलत एवं कुण्ठित इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपने हक हकूका से वंचित रह जावेंगे, जिससे प्रार्थीगण का नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील/प्रकरण बउनवान सरती बनाम रामनिवास वगै0 मु न0 13/2021 में आगामी कार्यवाही को स्थगित करने की कृपा करें।

5. अप्रार्थी सं0 01 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल कयास के आधार पर बिना किसी प्रावधान के पेश कर दी है। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाये है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. अप्रार्थी संख्या 01 के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में वकील प्रार्थी दौराने बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 को गौर से सुनने पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़